न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 454/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरनेक सिंह उर्फ निक्का सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. लखविन्द्र कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. हरपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :–

वादी जगजीत सिंह ने प्रतिवादीगण दर्शन सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.318 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) **वादी जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरनेक सिंह उर्फ निक्का सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:–**

तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. [illegible] सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.078 है. कृषि [illegible]
तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. [illegible] 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. [illegible] 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 में 0.759 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 दर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:–**

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 0.240 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 व 4 क्रमशः दर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, जसपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, लखविन्द कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह व हरपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75, चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 4 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.318 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त [illegible] संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही [illegible] के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र [illegible] सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी

लगातार —3

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.318 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.078 है., कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 454/2024

जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरनेक सिंह उर्फ निक्का सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बनाम् - वादी

दर्शन सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जसपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
लखविन्द्र कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
हरपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 113/59 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.318 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.078 है., कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी. जी. के खाता सं. 85/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 111/93 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X..... निल ....X..... मुब्लिक ....X..........निल ......X..... बाबत् ....X..... निल..........X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राज.),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया